

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103003612013

व्यवहार वाद क्र.-20ए/16

संस्थापित दिनांक-16.04.2013

1.लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 श्री रामसहाय श्रीवास्तव जाति कायस्थ आयु 69 वर्ष पेशा कृषि निवासी लाला की गली चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। <div style="text-align: right;">.....वादी</div>
विरुद्ध
1.म0प्र0 राज्य द्वारा श्री मान कलेक्टर महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र00 2.श्रीमान तहसीलदार महोदय परगना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 3.श्रीमान पटवारी महोदय कस्बा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 <div style="text-align: right;">.....प्रतिवादीगण</div>
वादी द्वारा श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादीगण द्वारा श्री चौबे अधिवक्ता

- / / निर्णय / -
(आज दिनांक 18.02.2017 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्बा चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 417 रकवा 0.063 हे0 (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा जिला कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.12 को शून्य घोषित किए जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का वह स्वत्वाधिकारी है। वादी के अनुसार वह विवादित भूमि पर पिछले 47 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उसने विवादित भूमि पर बाउंड्री बॉल का निर्माण किया है तथा राजस्व रिकार्ड खसरे में भी उसका स्वत्व दर्ज है। वादी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पूर्व में शासकीय दर्ज नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा विधिवत जांच कर दिनांक 24.07.01 को उक्त भूमि पर वादी को स्वत्व प्रदान किया था जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी के रूप में वर्ष 2001 में विवादित भूमि पर वादी का कब्जा दर्ज किया गया है। वादी के अनुसार विवादित भूमि पर शासन का कोई संबंध नहीं रहा तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादी को स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। वादी के अनुसार दिनांक 30.08.10 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया गया और उसके कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिस पर वादी ने अपनी बात रखी, किंतु उसकी कोई बात नहीं सुनी गई एवं विधिविरुद्ध रूप से प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने मनमाने तरीके से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को दिनांक 11.06.12 को निरस्त कर दिया जो कि विधिविरुद्ध होकर

शून्य है। वादी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश धारा 57 (3) के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर आक्षेपित नहीं किया गया है और इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उसे विवादित भूमि से बेदखल करने के प्रयास में भी हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने उसका वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा जिला कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 11.06.12 को शून्य घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि शासन की भूमि है जिसको तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा अवैधानिक आदेश के माध्यम से वादी के स्वत्व की कर दी गई थी। प्रतिवादी के अनुसार कलेक्टर द्वारा विधिवत् सुनवाई के बाद उक्त विवादित भूमि को शासकीय घोषित किया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 417 मिन 2 रकबा 0.063 हे० भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है ?	“नहीं”
02.	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अपना नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित कराने का अधिकारी है ?	“नहीं”
03.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 11.06.12 विधि विधान के विरुद्ध होकर शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	“नहीं”
04.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	“नहीं”
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 लक्ष्मीकांत, वा.सा. 02 राजेश कुमार श्रीवास्तव, वा.सा. 03 अशोक शर्मा की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही

प्रपी 01 लगायत प्रपी 16 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 रामगोपाल की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रडी 01 एवं प्रडी 02 भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 03 ::—

08. वा.सा. 01 लक्ष्मीकांत ने अपने कथन में बताया है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है जिस पर बगीचा लगा हुआ है। उक्त साक्षी के अनुसार उसका उक्त विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है तथा वह पिछले 47 वर्षों से वह उक्त विवादित भूमि से काबिज चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि को कलेक्टर द्वारा शासकीय घोषित कर दिया गया है जो कि अवैधानिक है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है। वा.सा. 02 जो कि पटवारी के पद पर पदस्थ है उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया था जिस पर उसने वादी का कब्जा पाया था। वा.सा. 03 अशोक शर्मा ने भी वा.सा. 01 के अनुसार अपने मुख्यपरीक्षण में बातें बताई हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने विवादित भूमि पर वादी का कब्जा देखा है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्षी रामगोपाल ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि को कलेक्टर द्वारा शासकीय घोषित कर दिया गया है जिस पर अब शासन का नाम दर्ज है। उक्त साक्षी के अनुसार वर्तमान में विवादित भूमि पर लक्ष्मीकांत का कब्जा है तथा उस पर बाउंड्री बनी हुई है।

09. वादी एवं प्रतिवादी की उपरोक्त मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा है। उल्लेखनीय है कि वादी उक्त विवादित भूमि को अपने स्वत्व की भूमि बता रहा है, वहीं प्रतिवादी उक्त विवादित भूमि को शासन की भूमि बता रहा है। उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि पूर्व में शासन की भूमि थी जिस पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा आदेश पारित कर वादी को स्वत्व प्रदान किए गए थे। उक्त तथ्य को प्रतिवादी ने भी स्वयं स्वीकार किया है। वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनमें प्रपी 01 लगायत प्रपी 06 के खसरों के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि नजूल की भूमि थी और शासन की भूमि थी। उल्लेखनीय है कि उक्त खसरों में वादी का नाम अतिक्रामक के रूप में विवादित भूमि पर दर्ज रहा है तथा प्रपी 07 के आदेश के द्वारा उक्त विवादित भूमि पर वादी को स्वत्व प्रदान किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 24.07.01 को अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा पारित किया गया है। प्रपी 11 के खसरे में जो कि वर्ष 2010-11 से संबंधित है वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है, किंतु प्रपी 12 के खसरे में जो कि वर्ष 2011-12 से संबंधित है पर कब्जेदार के रूप में वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज तो है, किंतु कॉलम नंबर 12 में वादी का स्वत्व समाप्त कर भूमि को शासकीय घोषित किया गया है। प्रपी 13 के आदेश में कलेक्टर द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अशोकनगर द्वारा उपरोक्त कार्यवाही भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत की गई है।

10. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में पुनरीक्षण का प्रावधान है जिसके अंतर्गत कलेक्टर किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे मामले का जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित हो या उसके द्वारा निपटाया गया हो अभिलेख मंगा सकता है तथा उसकी परीक्षा कर उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.01 के संबंध में पुनरीक्षण आदेश दिनांक 11.06.12 को पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में पुनरीक्षण के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण मंडन, आयुक्त, कलेक्टर किसी भी समय कर सकते हैं जो कि प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा किया गया है। इस प्रकार जिला कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.12 विधिसम्मत प्रकट होता है। जिला कलेक्टर द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आदेश पारित किया गया है तथा विवादित भूमि पूर्व में भी शासकीय भूमि रही है जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा विधिविरुद्ध आदेश पारित कर वादी को स्वत्व प्रदान किए गए थे। उल्लेखनीय है कि विधिविरुद्ध आदेश के आधार पर वादी को विवादित भूमि में स्वत्व प्राप्त नहीं होते। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी उक्त विवादित भूमि में अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहा है।

11. उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है, किंतु मात्र कब्जे के आधार पर वादी को विवादित भूमि में स्वत्व प्राप्त नहीं होते। और इस प्रकार वादी विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अपना नाम अंकित कराने का अधिकारी नहीं है और न ही कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.12 विधिविरुद्ध है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य के विवेचन से यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.—05 ::—

12. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

13. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर